न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 86/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 चुन्नीलाल पुत्र खीवाराम 2 लुम्बाराम पुत्र खीवाराम 3 धापू पत्नी जेठाराम 4 चैनाराम पुत्र खीवाराम 5 जेठाराम पुत्र खीवाराम 6 भानाराम पुत्र खीवाराम जातिगण सीरवी निवासीगण गुडा केसरसिंह तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 कमला पत्नी नारायणलाल जाति सीरवी निवासी गुडा केसरसिंह तहसील मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/2/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 05/2015 बअनवान कमला बनाम चुन्नीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा केसरसिंह के खसरा नम्बर 394, 395, 399, 400 व 404 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 4.9516 हैक्अेयर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 421 की माठ के सहारे सहारे 20 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने की मांग की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई तथा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की तथा उसके पश्चात पत्रावली प्रक्रिया अनुसार आदेश आपत्ति में नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण न करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें वैकल्पिक मार्ग मौके पर उपलब्ध होना बताया, जो चालू था। अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह जाहिर किया कि प्रार्थीया ने विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उनका खसरा नम्बर 421 में से कोई रास्ता नहीं रहा है एवं उनका रेकर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 402 में स्थित है, जिस रास्ते से कमलादेवी, हुक्मा पुत्र वाला, फुसाराम, रूपाराम व पेपीबाई आदि उपयोग उपभोग करते है, जो रास्ता आगे जाकर खसरा नम्बर 391 गै0मु0 नाले के सहारे सहारे होकर आगे जाकर गुडा केसरसिंह से ईसाली रास्ते से लगता है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, वह भी अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। इस कारण दुबारा रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ताराराम द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसमें मौके पर रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के आज्ञापक प्रावधानों की किसी रूप में पालना नहीं की गई तथा न ही यह जांच की गई कि रेस्पोडेन्ट को उक्त मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता है अथवा सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ते की मांग की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा बतौर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। चूंकि सन्दर्भित धारा के तहत संक्षिप्त जांच के पश्चात विधि अनुसार अनुतोष प्रदान कराने की प्रक्रिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए बाद जांच जैर अपील आदेश पारित किया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं था तथा अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में जिस भूमि का मार्ग के रूप में जिक्र किया है, वह भूमि गै0मु0 नाला है, जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। वर्षा ऋतु में पानी का बहाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट सहित अन्य खातेदार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाते है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से होकर पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का कहना है कि संक्षिप्त जांच होगी, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच ही नहीं की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट से रास्ते की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो शपथ पत्र प्रस्तुत हुए है, उनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रथम रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुबारा रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किए तथा दुबारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें रास्ते की आवश्यकता नहीं होना जाहिर किया। रेस्पोडेन्ट नाले के सहारे सहारे अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है, मात्र सुविधाजनक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा बतौर प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडा केसरसिंह के खसरा नम्बर 394, 395, 399, 400 व 404 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 4.9516 हैक्अेयर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 421 की माठ के सहारे सहारे 20 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने की मांग की। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपने पत्रांक/1790 दिनांक 17.10.2015 के ज़रिये मौक जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें निवेदन किया कि मौके पर खसरा नम्बर 402, 404/1, 392 में रास्ता छोडा हुआ है, जो खसरा नम्बर 391 गै0मु0 नाला तक ही है, आगे रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 391 जो कि गै0मु0 नाला है, में बरसात एवं आम दिनों में पानी व वाला होने के कारण खातेदार के कुए पर आवागमन संभव नहीं है। इस स्थिति में में आम रास्ता खसरा नम्बर 573 गै0मु0 रास्ता ही एकमात्र विकल्प है, जो खसरा नम्बर 421 में से ही आवागमन संभव है, इस अनुरूप खसरा नम्बर 421 की माठ के सहारे सहारे 20 फीट मार्ग दिया जाना उचित बताया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया, उसमें अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 391 गै0मु0 नाले के सहारे सहारे होकर गुडा केशरसिंह से ईसाली जाने वाले रास्ते के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवागमन करते है। इस सम्बन्ध में नक्शे का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 404 में आवागमन हेतु यदि खसरा नम्बर 391 के सहारे सहारे रास्ते का मिलान किया जाता है, जो रास्ता खसरा नम्बर 426 एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 404 के मध्य कुल 8 खसरा नम्बरान की भूमि प्रभावित होती है तथा उक्त रास्ता लघुतम एवं निकटतम मार्ग के रूप में प्रमाणित नहीं होता है। इसके पश्चात तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पुनः रिपोर्ट जरिये पत्रांक/935 दिनांक 05.08.2016 के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थीया द्वारा जिन खसरा नम्बरान् की भूमि में आवागमन के लिए नवीन रास्ता चाहा है, वह भूमि पूर्व में दूसरे खातेदारान् की भूमि थी, जो प्रार्थीया द्वारा खरीदसुदा सह खातेदारी है तथा सह खातेदारान् के मध्य में विभाजन हुआ है। प्रार्थीया की सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 402 गै0मु0 रास्ता, 404/1 चाही प्रथम एवं 392/1 बंजड में से मौके पर रास्ता चालू है तथा खसरा नम्बर 931 गै0मु0 नाले में से होकर गुडा केसरसिंह से ईसाली जाने वाली सड़क पर मिलता है, जो चालू होना बताया। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा इस रिपोर्ट के साथ न तो मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न की तथा न ही नजरी नक्शा तहरीर किया, जिससे मौके की भौतिक स्थिति रेकर्ड पर स्पष्ट ही नहीं हो सकी। जैसा कि पूर्व में तहसीलदार मा0जं0 की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसके संलग्न भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर मौके की भौतिक स्थिति को नजरी नक्शें में रेखांकित किया है, जो सुलभ है। यद्यपि तहसीलदार मा0जं0 द्वारा दुबारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह अपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है, तदुपरान्त भी यदि देखा जाए तो तहसीलदार मा0जं0 को अपनी रिपोट में जिन तथ्यों का अंकन किया है, वह मौके अनुरूप साबित नहीं होते है, क्योंकि गै0मु0 नाले में वर्षा ऋतु में पानी के बहार से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में जो फोटोग्राफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए है, उन पर विश्वास नहीं करने का कोई यथोचित कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही वकील अपीलाण्ट यह साबित करने में सफल रहे है कि उक्त फोटोग्राफ खसरा नम्बर 391 के न होकर किसी अन्य भूमि के हो। प्रकरण का समग्र अवलोकन एवं नक्शा ट्रेस, नक्शा लट्ठा एवं नजरी नक्शा का मिलान करने पर यह स्थिति साबित होती है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 421 के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इससे मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है। इस अनुसार विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। जहां तक प्रश्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' से सम्बन्धित है, तो उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि " (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (2)अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 05/2015 बअनवान कमला बनाम सुन्नीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली